

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :- 170/2021

1. रुपसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

प्रा0-पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआर.एक्ट

रुपसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह ने प्रा.पत्र पेश किया कि चक 1 जीडब्ल्युएम के मु0नं0 225/17 में उसके नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है। पर जमाबंदी में उसका नाम जगरुप सिंह दर्ज हो गया है, जिसे वह शुद्ध करवाना चाहता है।

इस संबंध में प्रार्थी के सहखातेदारान हंसासिंह, बसासिंह और हरबक्स सिंह, हल्का पटवारी मांगीलाल और सरपंच गुल्लुवाली के बयान करवाए गए। उन्होंने तस्दीक किया कि रुपसिंह 762880255069 और जगरुपसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। इस विवेचना के आधार पर अदालत को यह समाधान है कि विवादित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में जगरुपसिंह की जगह रुपसिंह उर्फ जगरुपसिंह दर्ज किया जाना उचित है। बाकी प्रविष्टियां यथावत रहेगी, तहसीलदार आदेश मुताबिक अमलदरामद करें।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

